**भारत सरकार**

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. *151 जिसका उत्तर**

**गुरूवार, 11 फरवरी, 2021/22 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है**

**सी- प्लेन सेवा योजना**

***151. श्री सी.पी.जोशी:**
**श्री मनोज तिवारी:**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की सागरमाला परियोजना के अंतर्गत सी-प्लेन चलाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी स्थिति क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा क्या है एवं किया गया बजटीय आवंटन कितना है;

(ग) सी-प्लेन चलाने हेतु प्रथम चरण में राजस्थान सहित देशभर में चिह्नित किये गये स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत सृजित होने वाले अनुमानित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री मनसुख मांडविया)**

**(क) से (घ):** एक विवरण सभापटल पर रखा गया है।

**"सी-प्लेन सेवा योजना" के संबंध में श्री चंद्र प्रकाश जोशी: श्री मनोज तिवारी: द्वारा पूछे गए दिनांक 11 फरवरी, 2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 151 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण**

(क) और (ख) सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई ने सी-प्लेन सेवा के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है, जिसमें एयरलाइन प्रचालकों को भारत में संयुक्त विकास एवं प्रचालन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस पहल के लिए अब तक अलग से बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ईओआई का उद्देश्य एयरलाइन प्रचालकों का एसडीसीएल के साथ सी-प्लेन सेवाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने और प्रचालन करने की इच्छा का आकलन करना है।

(ग) और (घ) सी-प्लेन प्रचालन के लिए सटीक स्थान के साथ-साथ राजस्व का अनुमान, प्रत्येक स्थान के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता और एयरलाइन प्रचालकों के हित पर निर्भर करेगा।

*****